कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 686 सूरजपुर, दिनांक/ 8/ 2 /2023

प्रति

प्रबंध संचालक,

छत्तीसगढ टूरिज्म बोर्ड

पर्यटन मुख्यालय, द्वितीय तल उद्योग भवन रायपुर।

विषयः– **Division of 0.797 ha. of forest land in favour of Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board for construction of Kudargarh Ropeway at Kudargarh village in district of Surajpur in the State of Chhattisgarh- regarding.**

– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/OTHERS/25041/2017

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय अटलनगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक F.no FC -I/IROCH-02/2020/429 दिनांक 21.12.2021

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–703/8153 दिनांक 30.12.2021

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र कुदरगढ अंतर्गत कुदरगढ़ रोपवे निर्माण में प्रभावित 0.797 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि के बदले बिगडे वनभूमि पर 100 नग सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर के परिक्षेत्र कुदरगढ अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2021–22 हेतु अद्यतन दर से अंतर की राशि हेतु मांग पत्र प्रदाय करने बावत् लेख किया गया था।

उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 0.797 हे. हेतु आपके द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 100 नग पौधा लगाने के लिए वर्ष 2020–21 की दर से कुल राशि 66025.00 रूपये प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण 878787.00 रूपये प्रति हे.की दर से रूपये 79890.00 है।

वृक्षारोपण की वर्तमान दर अनुसार राशि 79890.00 एवं आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित राशि रू. 66025.00 अंतर की राशि **रूपये 13865.00 (तेरह हजार आठ सौ पैसठ रूपये)** कैम्पा खाता में जमा करने हेतु ई–चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साईट http://parivesh.nic.in द्वारा किया जाना है। ई–चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साईट में ई–चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कैम्पा खाता में जमा कर ई–चालान की कॉपी एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक–पृथक वचन पत्र सहित इस कार्यालय में 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

वर्तमान में किसी भी प्रकार के वनभूमि में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ. क्र./मा.चि./ 687 सूरजपुर, दिनांक/ 8 /2 /2023

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

G:\Kudergarh Ropeway\Memo.doc